



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277236
CG-DL-E-17102026-277236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5441]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 5441]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5656(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड 7-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य — निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (4) में वर्णित राज्य में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अपर जिलाअधिकारी (वि./रा.), अमेठी।	अमेठी	उत्तर प्रदेश	1. उत्तरेटिया-सुल्तानपुर खण्ड पर किमी 947.353 पर एल.सी. संख्या 108-सी के स्थान पर 2-लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण। एवं 2. उत्तरेटिया-सुल्तानपुर खण्ड पर किमी 973.806 पर एल.सी. संख्या 138-एसी के स्थान पर 2-लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण।

[फा. सं. 01/आर.एस.पी/लैंड एक्वीजीशन/एल.सी.-108 सी एवं एल.सी. -138-एसी/एल.के.ओ डिब0./यु.टी.आर-एस.एल.एन.]

संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई

MINISTRY OF RAILWAY

[Northern Railway (Road Safety Projects Unit)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

S.O. 5656(E).— In exercise of the power conferred by clause 7-A of section 2 of the Railway's (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to Perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project as mentioned in column (5) of the table, for execution maintenance, management and operation in the state mentioned in column (4) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.No.	Competent Authority	District	State	Name of Railway Project
1.	2.	3.	4.	5.
1	Additional -District Magistrate, (F/R), Amethi.	Amethi.	UP	1. "Provision of 2-lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 108-C at KM 947.353 on Utratia- Sultanpur section" and 2. "Provision of 2-lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 138-AC at KM 973.806 on Utratia- Sultanpur section"

[F. No. 01/RSP/Land Acquisition/LC-108-C & LC-138-AC/LKO DIV/UTR-SLN.]

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Construction, Road Safety Projects Unit

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5657(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड 20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य — निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (4) में वर्णित राज्य में आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	आर्बिट्रेटर	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	जिला अधिकारी, अमेठी।	अमेठी	उत्तर प्रदेश	1. उत्तरेटिया—सुल्तानपुर खण्ड पर किमी 947.353 पर एल.सी. संख्या 108—सी के स्थान पर 2—लेन आर. ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण। एवं 2. उत्तरेटिया—सुल्तानपुर खण्ड पर किमी 973.806 पर एल.सी. संख्या 138—एसी के स्थान पर 2—लेन आर. ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण।

[फा.सं. 01/आर.एस.पी/लैंड एक्वीजिशन/एल.सी-108-सी एवं एल.सी -138-एसी/एल.के.ओ डिब0./यु.टी.आर-एस.एल.एन.]

संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

S.O. 5657(E).— In exercise of the power conferred by clause 20 F (6) of section 2 of the Railway's (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to Perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (5) of the table, for execution maintenance, management and operation in the state mentioned in column (4) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.No.	Arbitrator	District	State	Name of Railway Project
1.	2.	3.	4.	5.
1	District Magistrate, Amethi.	Amethi	Uttar Pradesh	1. "Provision of 2-lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 108-LC at KM 947.353 on Utratia- Sultanpur section" and 2. "Provision of 2-lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 138-AC at KM 973.806 on Utratia- Sultanpur section"

[File No. 01/RSP/Land Acquisition/LC-108-C& LC-138-AC/LKO DIV/UTR-SLN]

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Construction, Road Safety Projects Unit